



प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश

विकास नगर, कानपुर-208002

Visit us: <http://upted.gov.in/directorate>

Phone No. : 0512-2582064
Fax No. : 0512- 2580065
E-mail : directordsp@upmail.gov.in
directordsp@upmail.gov.in

-आदेश:-

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर शासनादेश सं0-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक-29.04.2021 में निहित प्रावधानानुसार कर्मशाला अनुदेशक, फाउण्ड्री बैण्डवेतन रु0 9300-34800 सादृश्य ग्रेडवेतन रु0 4200/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन संरचना लेबल-6) में न्यूनतम वेतन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व-सत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और परिणामस्वरूप आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। अभ्यर्थी की यह नियुक्ति पूर्णतया: अस्थायी है एवं नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें शासनादेश संख्या-20/1/74-3 दिनांक-11.06.1975 में निहित प्राविधानानुसार किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है:-

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	स्थायी पता	संस्था जहाँ नियुक्ति की जानी है
1	2	3	4
1.	श्री अशोक कुमार, C/O श्री टी0एन0 मौर्या, 441 एम0पी0 06, मालापुरम् कालोनी जल निगम रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश-226003	ग्राम-जामू पोस्ट-मलहेरा हरदोई उत्तर प्रदेश	राजकीय पालीटेकनिक, आदमपुर तरबगंज गोण्डा

नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण करने पर उनकी वरिष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991" में निहित प्राविधानानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-

1. सभी शैक्षिक एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
2. दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
3. एक पत्नी जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
5. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण-पत्र।
6. स्थानीय पुलिस थाना से चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण-पत्र।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्र निदेशालय एवं संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कार्यालय भेजे जायें। नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि तक उपरोक्त अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ होता है तो इनका नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा। पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। संबंधित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परीक्षा पर रहेंगे।


(मनोज कुमार)
निदेशक